मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय
//सूचना//

भोपाल दिनांक 19/03/2020

क्रमांक एफ–3/59/2017/18–5, एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत जावरा निवेश क्षेत्र की प्रारूप विकास योजना 2031 में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है। अतः म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण सूचना के माध्यम से प्रकाशित किया जा रहा है उपांतरणों का विस्तृत विवरण वेबसाईट www.mptownplan.nic.in पर उपलब्ध है तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से तीस दिवस की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा।

1. अवर सचिव, म0प्र0 नगरीय विकास एवं आवास विभाग कक्ष क्रमांक ए 227 वी.बी. 2, द्वितीय तल मंत्रालय भोपाल, मध्य प्रदेश
2. कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय– रतलाम, मध्य प्रदेश
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जावरा जिला– रतलाम, मध्य प्रदेश

उपांतरण का विवरण

अध्याय –4

1. **कंडिका 4.6.1 के पश्चात निम्नलिखित स्थापित किया जाना प्रस्तावित है :–**

4.6.2 सूचना प्रौद्योगिकी हेतु मापदण्ड सूचना प्रौद्योगिकी के मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42(क) के अनुसार मान्य होगा।

2. **4.18 उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति**

सारणी 4–सा–7 के अनुकमांक 5 के कॉलम 2 सार्वजनिक एवं आर्द्धसार्वजनिक उपयोग में गैर प्रदूषणकारी उद्योग अतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

3. सारणी 4–सा–7 अंत में टीप के पश्चात निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

व्याख्या :

(i) सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि म.प्र शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें।

(ii) गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।

Scanned with CamScanner

(iii) कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 (क) में वर्णित अनुसार

टीप :- उपरोक्त I एवं II के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी।

4. जावरा विकास योजना मानचित्र 2031

1. दिल्ली–मुम्बई कॉरीडोर (8 लेन एक्सप्रेसवे) विकास योजना में समाहित किया जाता है। (ग्राम लालाखेड़ा एवं आक्यावेनी)।

2. खाचरोद मार्ग (खाचरोद नाका से निवेश क्षेत्र की सीमा तक) तथा पहाड़िया मार्ग (पहाड़िया रोड चौराहे से निवेश क्षेत्र की सीमा तक) के दोनो ओर 150.00 मीटर गहराई तक मिश्रित भूमि उपयोग मान्य होगा।

उक्त उपांतरण विवरण के संबंध में आपत्ति या सुझाव हो तो उसे अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से सूचना प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते है। समयावधि में प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राजपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ. शुभाशीष बैनर्जी)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
17/3/... नगरीय विकास एवं आवास विभाग

Scanned with CamScanner

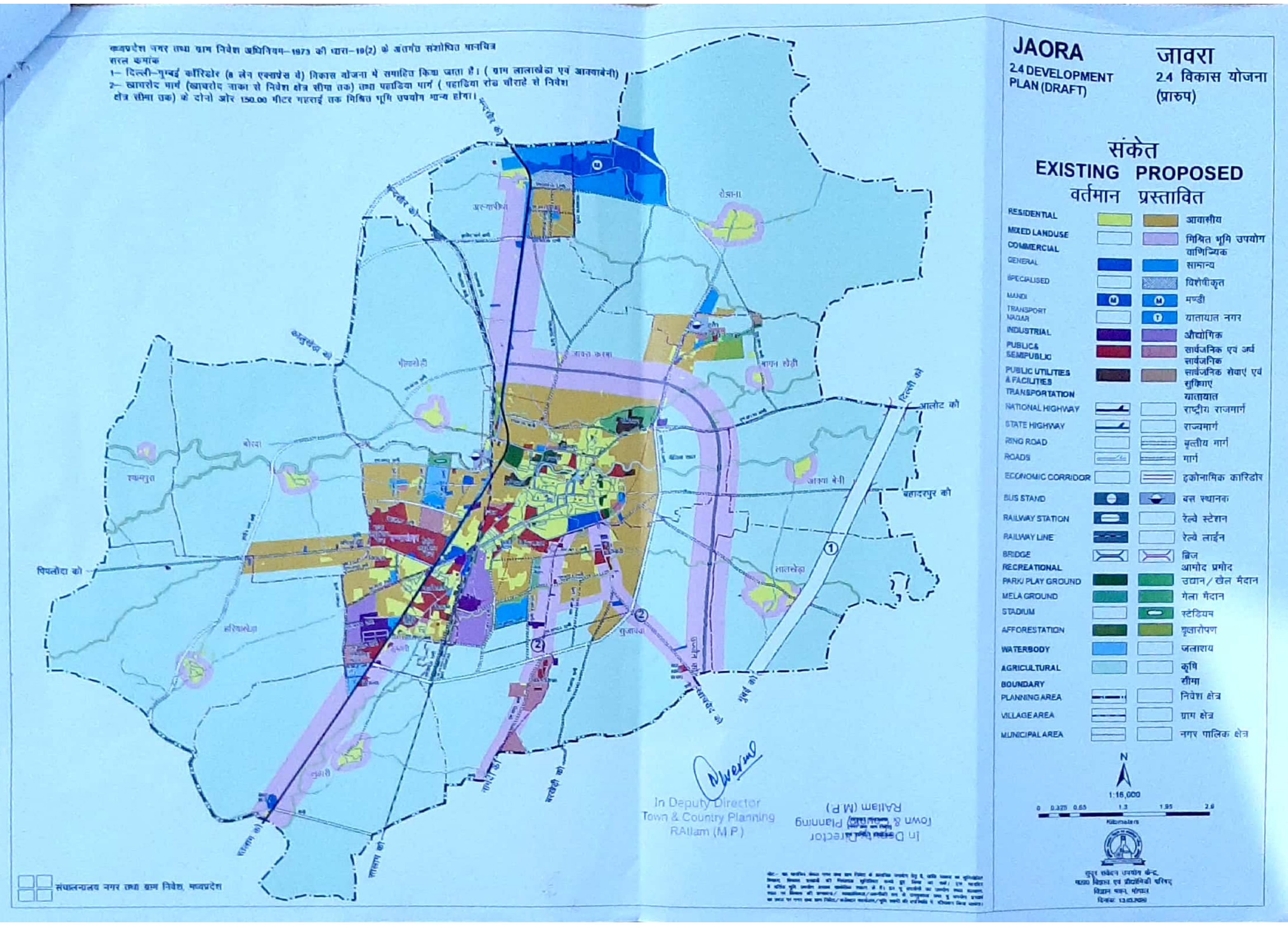

Scanned with CamScanner